भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 628
जिसका उत्तर 25.07.2024 को दिया जाना है
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना

628. श्री ए. राजाः
क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि देश में लगभग 22 प्रतिशत सड़क दुर्घटना के शिकार पैदल यात्री होते हैं;
(ख) यदि हां, तो क्या सड़क की स्थिति में सुधार करने और सड़कों पर समर्पित पैदल पथ उपलब्ध कराने के लिए कोई अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) समर्पित गैर-मोटर चालित परिवहन लाइनें प्रदान करके समग्र सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए किए गए प्रयासों, मल्टी-मॉडल मोडेलिटी के डिजाइन, निर्माण और संचालन की योजना का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाएं, 2022 पर मंत्रालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों और घायलों की संख्या 6,11,857 थी, जिनमें 97,689 पैदल यात्री (15.96%) शामिल थे।

मंत्रालय को देश में राष्ट्रीय राजमार्गों/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के निर्माण और रखरखाव का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) सभी चरणों यानी डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि पर तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा सहित सड़क सुरक्षा के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

- पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं के प्रावधान आईआरसी: 103 "पैदल यात्रियों के लिए सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश" में निर्दिष्ट किए गए हैं। मंत्रालय ने 17 जून, 2015 को एक परिपत्र भी जारी किया है, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए हैं।
- शहरी क्षेत्रों में असुरक्षित स्थानों पर पैदल यात्रियों को सड़क पार करने से रोकने के लिए पर्याप्त ऊंचाई की मध्य रेलिंग का प्रावधान है।

- पैदल यात्रियों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्रॉसिंग की सुविधा के लिए विभिन्न निर्दिष्ट स्थानों पर रैंप या लिफ्ट के साथ फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) बनाए जाते हैं। आईआरसी 56-2011 में स्टील पैदल यात्री पुल प्रदान करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों का वर्णन किया गया है।
- मंत्रालय ने यातायात नियंत्रण उपायों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश (आईआरसी 99-2018) जारी किए हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों पर या राष्ट्रीय राजमार्ग से सटी सड़कों पर विभिन्न यातायात उपाय जैसे रंबल स्ट्रिप्स, स्पीड बम्प्स, स्पीड टेबल/उभरे हुए पैदल यात्री क्रॉसिंग, सड़क को संकीर्ण करना, सेंट्रल आइलैंड आदि प्रदान किए गए हैं।
- एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइनेज के प्रावधान के लिए नए दिशानिर्देश जुलाई 2023 में परिचालित किए गए हैं। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में बेहतर दृश्यता और सुपाठ्यता, सहज संप्रेषण के लिए चित्रात्मक वर्णन, सड़क साइनेज पर बहुभाषी दृष्टिकोण और लेन अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

संसद द्वारा पारित मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने सड़क सुरक्षा परिदृश्य को बेहतर बनाने और जानमाल के नुकसान को कम करने के लिए कानून को मजबूत किया है। केंद्र सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत नियम बनाती है, जबकि इन नियमों का प्रवर्तन राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में आता है।

*****